राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 2890/2024

मोहम्मद अतीक शेख पुत्र श्री मोहम्मद खुशीद शेख, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी लाल मगरी, अहमद हुसैन कॉलोनी, लेन नं.3, थाना अम्बा माता, उदयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री संजय माथुर

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री सुमेर सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>10/07/2024</u>

1. इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दिनांक 02.03.2024 का एक आदेश है, जो विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 5, उदयपुर द्वारा लंबित आपराधिक प्रकरण संख्या 52/2019 में पारित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता एक पीड़ित-शिकायतकर्ता है।

2. यह पता चला है कि एफआईआर में आरोप अन्य बातों के साथ-साथ यह भी है कि अभियुक्तों ने याचिकाकर्ता पर हमला किया था और अन्य अपराधों के अलावा धारा 307 आईपीसी को आकर्षित करने वाली गंभीर चोटें पहुंचाई थीं।

3. जांच के दौरान, खून से सने कपड़े और पीड़ित (यहां याचिकाकर्ता) को चोटें पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त कर लिया गया था। उन्हें उचित चरण में साक्ष्य में पेश किया जाना आवश्यक है।

4. मुकदमा अभी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में है। इस बीच अभियोजन पक्ष ने एक आवेदन दायर कर विद्वान ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया कि वह खून से सने कपड़े, तलवार और अन्य सामग्री, जिसका उपयोग चोट पहुंचाने के लिए किया गया था, पर एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एफएसएल को भेजे और उस पर

रिपोर्ट प्राप्त करे। हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ यह देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया है कि अभियोजन पक्ष का आवेदन देरी से दायर किया गया है। इस प्रकार यह मुकदमे में देरी करने के परोक्ष उद्देश्य से किया गया था।

5. यह भी देखा गया कि अभियोजन पक्ष या याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय में मुकदमे की सुपुर्दगी के समय विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा आवेदन दायर करना चाहिए था, जब संज्ञान लिया गया था।

6. विद्वान लोक अभियोजक पीड़ित/शिकायतकर्ता द्वारा दायर तत्काल याचिका का विरोध नहीं करता है। उन्होंने कहा कि विद्वान सत्र न्यायालय को वास्तव में अभियोजन पक्ष के आवेदन को स्वीकार कर लेना चाहिए था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी वकील को सुनने के बाद, मेरा मानना है कि इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत आदेश संधारणीय नहीं है। इसके लिए कारण तलाशने की जरूरत नहीं है।

8. विद्वान सत्र न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए गंभीर गलती की है कि आवेदन को मुकदमे की सुनवाई के समय विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था। चूंकि आवेदन साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रकृति का है, इसलिए इसे विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्ष्य के चरण में दायर किया जाना चाहिए। इसलिए, इस आधार पर इसे खारिज करना विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा की गई पूरी तरह से भ्रांति है।

9. इसके अलावा, दूसरा कारण, जिसने मुकदमे में देरी के बारे में न्यायालय को प्रभावित किया है, वह भी इसी आधार पर आधारित है कि चूंकि आवेदन विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर नहीं किया गया था, इसलिए यह विलंबित है और इसे बनाए रखने योग्य नहीं है।

10. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रकृति का आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष होना चाहिए। साथ ही, यह विवादित नहीं है कि वर्तमान में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए, इसे उचित चरण में सही तरीके से दायर किया गया है।

11. उपरोक्त के अलावा, एफएसएल रिपोर्ट की मांग के संबंध में, यह विद्वान ट्रायल कोर्ट को चोट पहुंचाने में आरोपी की भूमिका के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचने में काफी मदद करेगा। इस प्रकार रिपोर्ट मांगे बिना आवेदन को अस्वीकार

करने से न्याय की विफलता होगी। बेशक, आरोपी को कानून के अनुसार एफएसएल रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्य पर सवाल उठाने का अधिकार होगा।

12. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 02.03.2024 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया जाता है। आवेदन में उल्लिखित कपड़े और अन्य सामान/हथियार एफएसएल के लिए भेजे जाने और रिपोर्ट तैयार होने पर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।